

(2)

370/15-7-2000

Encls-5

संख्या-060/15-7-94-161531/1992

प्रति,

श्री गुरु राम बाई
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन ।

शुभ प्र

सावित्र
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा क्षेत्र 2 तृतीय-कक्षा प्रशिक्षण विभाग
नई दिल्ली ।

दिनांक 17/1 अगस्त

संख्या: दिनांक: 12 अगस्त, 1994

विषय:- श्री गुरुराम राय पाब्लिक स्कूल हरदोई को सीटिपीएसओई नई दिल्ली से सम्बन्धता प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक चर मुझे यह कदम का निर्देश हुआ है कि श्री गुरुराम राय पाब्लिक स्कूल हरदोई को सीटिपीएसओई नई दिल्ली से सम्बन्धता प्राप्त दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

- 1- विद्यालय श्री पीवीकृत गौतावली का सम्यक् सम्य पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 2- विद्यालय की प्रथम समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक एक सदस्य होगा ।
- 3- विद्यालय में कम से कम एक प्रतिष्ठित स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र वर्गों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संघानित विद्यार्थियों में विभिन्न धर्मों के लिए निर्धारित गुणक से अधिक गुणक नहीं लिया जायेगा ।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से शिक्षा अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से वार्षिक शिक्षा परिषद से सम्बन्धता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बन्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/शिक्षा पत्र दि. 01/08/94 नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उत्तर प्रदेश परिषदों से सम्बन्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से सम्बन्धता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
- 5- संस्था केवल ही अनुसूचित वर्गों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षार्थियों के वर्गों को अनुसूचित वर्तमानों तथा अन्य वर्गों से कम वर्तमान तथा अन्य वर्गों नहीं दिये जायेगे ।
- 6- वर्गों की सेवाओं का प्राप्ति आदेशों और उन्हें सहायता प्राप्त असावधानीय उद्योग माध्यमिक विद्यालयों के वर्गों की अनुसूचित सेवा नियुक्ति का नाम उपाध्य कराये जायेगे ।

प्रधानाचार्य-
श्री राम राय
पब्लिक स्कूल
हरदोई

श्री अशोक
प्रधानाचार्य
17/2/2000

(अजीत कुमार)
अनुसूचित वर्गों के
शिक्षा अनुभाग-7
उ० प्र० शासन, लखनऊ

vRawal

For Shri Guru Ram Bai Public School, Hardoi

Authorised signatory
of Manager

Manager

121

7- राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी अधिनियमित किये जायेंगे, तैरका उनका पालन होगा ।

8- विद्यालय या शिक्षण निर्धारित प्रश्न/पॉइन्ट्स में रका जायेगा ।।

9- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पुनर्निर्देशन के बिना कोई परिवर्तन/शोधन वा परिवर्धन नहीं किया जायेगा ।

2- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना शर्तका है तिर अनिवार्य होगा यदि किसी समय यह पाया जाता है कि शर्तका द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया या रका है अथवा पालन करने में किसी प्रकारकी गड़बड़ वा अनिच्छता प्ररणा का रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त आणवित प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भरतीय

आओ नंगुनी उप सचिव ।

फोनो 860111/15-7-1994 तददिनांक

प्रतिबन्ध निम्नलिखित को सुवनाय रकी जायक कार्यवाही

के प्ररित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- भरतीय उप शिक्षा निदेशक, लखनऊ ।
- 3- शिक्षा विद्यालय, निरीष, हरदोई ।
- 4- निरीषक, आंगन भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 5- प्रबन्धक श्री गुरुशम राय पब्लिक स्कूल, हरदोई ।

जागत है

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

आओ नंगुनी उप सचिव ।

For Shri Guru Ram Rai Public School, Haridwar

[Handwritten Signature: V Rawal]

Authorised Signatory of Manager

SGRR EDUCATION MISSION, DEHRADUN

[Red Handwritten Signature]